राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 214/2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0 ....वादी

बनाम

1. जुगलकिशोर पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 (मृतक)

1/1 कैलाश पुत्र स्व. जुगलकिशोर
1/2 हरिराम पुत्र स्व. जुगलकिशोर
1/3 रमेश पुत्र स्व. जुगलकिशोर
1/4 रामोतार पुत्र स्व. जुगलकिशोर
1/5 उगन्ता पुत्री स्व. जुगलकिशोर
1/6 फुली देवी पत्नी स्व. जुगलकिशोर समस्त जाति ब्राहमण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

2. श्यामसुन्दर पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. केशरमल पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय **दिनांक 26–08–2020**

यह वाद अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (4) के अन्तर्गत इसे वाद पत्र माना गया और तद्नुसार कार्यवाही की गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने निवेदन किया कि ग्राम कांकरिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1681 रकबा 1.81 है. उक्त जुगलकिशोर श्यामसुन्दर केशरमल पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी कांकरिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 1681 रकबा 1.81 है. भूमि में खातेदार द्वारा बिना किसी स्वीकृति आदि के कृषि करने के बजाय अवैध रूप से बजरी खनन किया गया है। चूंकि राज्य सरकार ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। अतः अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जाये।

खातेदारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्यक् रूप से तामील करवाई गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि ख.नं. 1681 का नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता सं. 74 तथा पटवारी हल्का कांकरिया की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2013 पेश की जिसके अनुसार ग्राम कांकरिया स्थित भूमि ख.नं. 1681 रकबा 1.81 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। मौके पर खनन किया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पटवारी हल्का से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 1681 रकबा 1.81

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:12:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है. पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये हैं। उक्त खसरा नंबर 1681 कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पटवारी हल्का कांकरिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.10.2013 व दिनांक 4.03.2020 की रिपोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि में अवैध रूप से बजरी खनन किया गया है। खातेदारान द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। बारानी चारम दर्ज भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामवासियान से बार–बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तथा धरना प्रदर्शन किये जा रहे है जिससे क्षेत्र की लोकशांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विवादित भूमि ख.नं. 1681 रकबा 1.81 है. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी (तहसीलदार, खेतड़ी) स्वीकार किया जाकर ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 1681 रकबा 1.81 हैक्टेयर भूमि को राजगामी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नंबर से खातेदारान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें बेदखल करें व उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय दर्ज करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:12:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner